



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, रामांखण्ड
लोक निर्माण विभाग, डोईवाला (देहरादून)

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, N.H. P.W.D., Doiwala

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

PHONE & FAX- 01352695884



E-Mail-eenhdowiwalarediffmail.com

पत्रांक:- १५० / १४सी०

दिनांक ०९/०२/२०१७

सेवा में,

रिलॉयस जियो लिमिटेड
एन०सी०आर० प्लाजा न्यू कैन्ट रोड
हाथी बड़कला देहरादून

विषय-

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 707ए० के मसूरी बैण्ड से मसूरी कि०मी० 134 से 161 में ओ०एफ०सी० केबिल डाले जाने हेतु रोड कटिंग के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय के कम में आप द्वारा प्रेषित ड्रपट/चैक संख्या 922687/16 दिनांक 23.01.2017 एच०डी०एफ०सी० बैंक द्वारा रु० 1,32,45,000.00 इस कार्यालय में प्राप्त किया गया है, जिसके कम में रामांखण्ड संख्या 707ए० के मसूरी बैण्ड से मसूरी कि०मी० 134 से 161 में ओ०एफ०सी० केबिल विछाने हेतु अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के साथ दी जाती है:-

- 1:- यदि भविष्य में मार्ग चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है तो आपके द्वारा विछाई गई लाईन आपके विभाग को अपने व्यय पर शिष्ट करनी पड़ेगी। यदि निर्धारित समय तक आपके द्वारा उक्त लाईन नहीं हटाई जाती है तो विभाग को अधिकार होगा कि वह उक्त लाईन को हटा/दबा देगा तथा इस कार्य पर होने वाले व्यय को आपसे वसूल करने का पूर्ण अधिकार होगा यदि पाईन लाईन हटाई नहीं जाती और दबा दी जाती है, तो उस दशा में दबी लाईन की सप्लाई बंद करनी होगी।
- 2:- मार्ग काटने का कार्य पूर्ण सावधानी तथा यातायात की सुरक्षा प्रबन्ध तथा बैरिकेडिंग, रिएंसिंग आदि किये जाने के पश्चात किया जायेगा तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा दी गयी समय सीमा के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करना होगा।
- 3:- सड़क काटते समय यातायात की सुविधा एवं सुरक्षा के लिये मार्ग के दोनों ओर प्रबन्ध किये जाय, यदि कोई दुर्घटना घटती है, तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
- 4:- जिस समय मार्ग काटने का कार्य किया जाये उससे पूर्व लोक निर्माण विभाग एवं जिलाधिकारी महोदय देहरादून को यथासमय सूचित किया जाय।
- 5:- उपरोक्त स्थीकृति दिनांक 15.07.2017 तक वैद्य है तथा उक्त तिथि के बाद 2 प्रतिशत अधिक धनराशि जमा कर पुनः स्थीकृति लेनी होगी।
- 6:- लाईन विछाने का कार्य आगणन के अनुसार होना अत्यन्त आवश्यक है। यदि भविष्य में मार्ग को पुनः निर्माण आदि के लिये गहराई पर खोदा जाता है व उससे आपके द्वारा डाली गई लाईन क्षतिग्रस्त होती है तो उसका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- 7:- सड़क काटने के पश्चात भरी जाने वाली मिटटी को लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार कम्पैक्शन किया जाना आवश्यक है।
- 8:- खुदाई करते समय पक्के मार्ग के नीचे का ब्लास्ट आदि ट्रैक्च के एक ओर तथा खुदाई की मिटटी दूसरी ओर रखी जाय। कार्य पूर्ण होने पर पहले भरी जाय, एक दो दिन बाद मिटटी दबाकर फिर खोदा गया ब्लास्ट उसके उपर डाला जाय, मिटटी तथा ब्लास्ट को टैकर से पानी डालकर कार्पैक्ट किया जाय।
- 9:- जब कभी लाईन में आपके द्वारा कोई कार्य किया जायेगा तो कार्य करने से पूर्व आवश्यक शुल्क जमाकर अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
- 10:- रोड कटिंग चार्ज १३२,४५,०००.०० जो कि आपके द्वारा चैक संख्या 922687/16 दिनांक 23.01.2017 द्वारा जमा किये गये हैं व मार्ग को भविष्य में सुचारू रूप से चालू रखने हेतु व्यय किये जाते हैं। यह राशि नॉन रिफ्नेंडिल है।
- 11:- खुदाई की मिटटी पक्की सतह पर न डाली/छोड़ी जाय।
- 12:- आपके द्वारा जमा की गई उक्त धनराशि आगणन के अनुसार है, जिसका विवरण आगणन में दिया गया है हेतु ली गई है। यदि कटिंग आगणन में दिये गये क्षेत्रफल से अधिक होती है तो अतिरिक्त कटिंग की धनराशि आपको तुरन्त जमा करानी होगी। यदि आप इस धनराशि को समय प्रदर्शन कर पाये तो विभाग को अधिकार होगा कि वह वसूली एज ए लैण्ड रैवेन्यू वसूल करवायें जायेंगे तथा इस प्रकार वसूल की जाने वाली धनराशि पर हुये व्यय की वसूली भी आपसे की जायेगी।
- 13:- भविष्य में यदि कोई अन्य दिशा निर्देश भारत सरकार द्वारा दिये जाते हैं तो उनका पालन करने हेतु आप वापस होंगें।
- 14:- कार्य कराने से पूर्व पुलिस विभाग से उक्त रोड कटिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

तददिनांक

पत्रांक

/ १४सी०

जिलाधिकारी देहरादून/टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

सहायक अभियन्ता द्वितीय रामांखण्ड लो०नि०वि० डोईवाला को इस आशय से प्रेषित कि मार्ग कटिंग हो जाने पर काटे गये क्षेत्रफल की वार्ताविक विस्तृत सूचना एवं अतिरिक्त कटिंग का बिल अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को प्रेषित किया जाय, यदि निरीक्षण के दौरान इसमें अनियमितता पाई गई तो इसकी सीधी जिम्मेदारी सम्बन्धित अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता की होगी।

प्रतिलिपि:-

खण्डीय रोकड़िया को उपरोक्त ड्राप्ट सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०) रामांखण्ड लो०नि०वि० डोईवाला देहरादून को सूचनार्थ।

अधिशासी अभियन्ता,
रामांखण्ड लो०नि०वि०,
डोईवाला (देहरादून)

अधिशासी अभियन्ता,
रामांखण्ड लो०नि०वि०,
डोईवाला (देहरादून)